संख्या-10/ 2677 /33-3-2014-100(15)/2013

प्रेषक,

राकेश कुमार
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2014

विषय-पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत चयनित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित /स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी0आर0जी0एफ0 के पत्र संख्या- 1197/33पी0एम0यू0-2014-1284/2013 , दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा जनपद फर्रूखाबाद के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम किश्त की धनराशि योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी है, तदनुसार धनराशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के लेखा शीर्षक वार/निकायवार/पंचायतवार संलग्न फॉट के अनुसार स्वीकृत/ निर्गत करने का प्रस्ताव किया गया है। अत: परियोजना निदेशक, बी0आर0जी0एफ0 के उक्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न फॉट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) योजनान्तर्गत " विकास अनुदान" मद में प्रावधानित धनराशि रू0 8181700 हजार में से रू0 15,97,00,000.00(रू0 पन्द्रह करोड सत्तान्बे लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न पंचायतवार/निकायवार फॉट के अनुसार, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2467/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत धनराशि का आहरण /व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन्स एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायोग।

(2) उक्त धनराशि निदेशक, पंचायती राज द्वारा ई- बैंक अंतरण प्रणाली प्रक्रिया के अनुरूप सीधे जिले के अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। शासनादेश संख्या- 1919/33-3-2008-100(57)/08, दिनांक 30.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त धनराशि योजनान्तर्गत राष्ट्रीय बैंक में खोले गये बचत खाते में ही रखा जायेगा जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा।

(3) इस धनराशि से वे कार्य ही कराएं जायेंगे जिनकी स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या- 612/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 के अधीन प्रदान की जाए। जिलाधिकारी योजनाओं की स्वीकृति एवं बी0आर0जी0एफ0 विकास अनुदान खाता से धनराशि के आहरण की स्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त योजना जिला योजना समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना के रूप में अनुमोदित हो।

(4) समस्त कार्यो /परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका तथा राज्य सरकार व परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछडा क्षेत्र अनुदान

http://shasanadesh.up.nic.

निधि द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। शासनादेश सं0-686/33-3-2013-69/2013, दिनांक 01.03.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला योजना प्रबंध इकाई एवं पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन शासनादेश सं0-609/33-3'2013-48/2013, दिनांक 22.02.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अधिकारी परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(5) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी) /वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आंवटित धनराशि को जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा नगर निकाय को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझी जाए। पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही है। अतः भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत योजनाओं का कार्य/परियोजना स्थल का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व व्यय का पूर्ण विवरण परियोजना प्रबंध इकाई, पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि /भारत सरकार को निर्धारित समयावधि तक उपलब्ध कराना अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा। अतः पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी) /वित्तीय परामर्शदाता द्वारा पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत धनराशि का अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी) /वित्तीय परामर्शदाता स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी) /वित्तीय परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और मदवार मासिक व्यय विवरण परियोजना प्रबंघ इकाई को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार संबंधित जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व नगर निकाय द्वारा भी अपने-अपने स्तर पर स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा जोखा रखा जायेगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं नियमित रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूपपत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी) /वित्तीय परामर्शदाता को उपलब्ध कराए जायेंगे। अपर मुख्य अधिकारी(नोडल अधिकारी) /वित्तीय परामर्शदाता द्वारा नियमित रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबंधइकाई पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि , उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी) /वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो पर ही किया जाए और किसी भी दशा में व्यावर्तन नहीं किया जायेगा।

(8) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण से पूर्व पंचायतवार/निकायवार एवं संलग्न फॉट के सही होने/धनराशियों का आहरण बजट प्राविधान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपयुक्त लेखा शीर्षकवार ही किया जाना सुनिश्चित करने का दायित्व, परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबंध इकाई, बी0आर0जी0एफ0 उ0प्र0 का होगा।

9) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व परियोजना निदेशक,

http://shasanadesh.up.nic

बी0आर0जी0एफ0 यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि इन धनराशियों के संबंध में भारत सरकार के संबंधित पत्रों के माध्यम से संबंधित जनपदों के लिए उपरोक्तानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है, उनमें जनपदवार/निकायवार /पंचायतवार/एस0सी0एस0सी0/एस0टी0एस0पी0 तथा नॉन /एस0सी0पी0 एस0सी/ एस0टी0एस0पी0 कम्पोनेन्टवार अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष ही धनराशियॉ व्यय की जायेगी तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के गाइडलाइन्स का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय संलग्न फॉट के अनुसार पंचायतवार/ निकायवार विवरण में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 14 आयोजनागत -पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- निदेशक, पंचायती राज(लेखा) उत्तर प्रदेश।
6- परियोजना निदेशक, परियोजना पंबंध इकाई, बी0आर0जी0एफ0 उत्तर प्रदेश।
7- आयुक्त, संबंधित मण्डल।
8 अध्यक्ष, जिला पंचायत फर्रूखाबाद।
9- जिलाधिकारी, जनपद- फर्रूखाबाद।
10- मुख्य विकास अधिकारी जनपद- फर्रूखाबाद।।
11- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
12- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-2/आडिट'-2 इलाहाबाद।
13- वित्त (आय-व्ययक) 1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
14- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
15- पंचायती राज अनुभाग-1/2
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.